रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2011/पौष 16, 1932
No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2011/PAUSA 16, 1932

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय

अधिसूचना

कोलकाता, 25 अक्तूबर, 2010

सं. 1/2010.— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा 2 के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का निदेशक मंडल , भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करके एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात्

1. (1) ये विनियम युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम (संशोधन) विनियम 2010 कहलाएँगे ।

(2) जहाँ संबंधित विनियम में अन्यथा उल्लिखित हैं उनको छोड़कर इसकी प्रभावी तिथि जून, 2009 के दूसरे दिन से प्रभावी होंगे ,

2. युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम , 1979 में (उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) , विनियम सेवा 3 (i) खण्ड (छ) के लिए अधोलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात्

(i) (छ) परिवार का मतलब अधिकारी की पत्नी/पति (जो बैंक का कर्मचारी नहीं है) अविवाहित बच्चे जो पूर्ण आश्रित हैं (आश्रित सौतेला एवं कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे शामिल है) एवं माता-पिता , जो सामान्य रूप से उनके साथ रहते हैं एवं अधिकारी पर पूरी तरह आश्रित हैं

(ii) खण्ड (ड) के लिए अधोलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात (ड) पूरी तरह आश्रित बच्चे या माता - पिता का मतलब है बच्चे या माता - पिता जिनकी आय प्रति महीना रू. 2,550 से अधिक नहीं है ।

टिप्पणी : यदि माता - पिता में से किसी एक की प्रति माह आय रू. 2,550/- से बढ़ जाती है या माता -पिता दोनों की औसत आय रू. 2,250 से प्रति माह बढ़ जाती है , ऐसी स्थिति में माता पिता दोनों कर्मचारी के उपर पूर्ण आश्रित नहीं समझा जायेगा ।

3. उक्त विनियम में , विनियम 4 में , उप- विनियम (4) हेतु अधोलिखित उप विनियम प्रस्थापित होगा , वे हैं : -

4. नवम्बर, 2002 के प्रथम दिन से , प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित वेतनमान निम्नलिखित होगा : -

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII रू. 29340 - $\frac{680}{2}$ - 30700 - $\frac{900}{1}$ - 316 00 $\frac{1000}{1}$ - 32600

वेतनमान VI रू 26620 - $\frac{680}{4}$ - 29340

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V रू. 24140 - $\frac{620}{4}$ - 26620

वेतनमान IV रू. 20480 - $\frac{560}{1}$ - 21040 - $\frac{620}{5}$ - 24140

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III रू. 18240 - $\frac{560}{2}$ - 21040 - $\frac{620}{2}$ - 22280

वेतनमान II रू. 13820 - $\frac{500}{1}$ - 14320 - $\frac{560}{10}$ - 19920

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I रू. 10000 - $\frac{470}{6}$ - 12820 - $\frac{500}{3}$ - 14320 - 560 - 18240

टिप्पणी : 31 अक्टूबर , 2002 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियतन 1 नवम्बर , 2002 को इस उप विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम दर प्रक्रम आधार पर किया जायेगा , अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियाँ., अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सामान्यतया अधिवार्षिता तारीख को होगी ।

4 (क) उप विनियम (1) , (2) , (3) एवं (4) का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणीयों में अधिकारी रखना अपेक्षित है ।

4 विनियम 5 के लिए , निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्

5 वेतनवृद्धियाँ - (1) विनियम 4 के उप - विनियम (4) में उप विनियम के अधीन 1 नवंबर, 2002 को उस तारीख से वेतन वृद्धियॉा अधोलिखित शर्तों के अधीन मंजूर की जाएगी : -

(क) विनियम 4 के उप विनियम (4) में उपवर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ , सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोदभूत होगी और वे जिस महीने में देय होती है उस महीने की पहली तारीख को दी जाएगी ।

(ख) वेतनमान - I एवं II के अधिकारियों को , अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष वाद, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि (यों) सहित आगे की वेतनवृद्धियाँ नीचे (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जाएगी , बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर लें ।

(ग) उपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित , मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा III के अधिकतम पर पहूँचने वोले अधिकारियों को यथास्थिति वेतनमान II तथा III के अंतिम प्रक्रम पर पहूँचने के पश्चात प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि (याँ) दी जाएगी/जाएंगी । वेतनमान - II के अंतिम प्रक्रम पर पहूँच चुके अधिकारियों के मामले में रू. 560/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियाँ दी जाएगी एवं वेतनमान - III के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले रू. 620/- की एक एक वेतनवृद्धि दी जाएगी ।

परंतु 01.11.1994 को और उसके बाद से मूल वेतनमान - III के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान III में भर्त्ती या पदोन्नत हुए हैं , दूसरी अवरोध - वेतन वृद्धि पहली अवरोध - वेतनवृद्धि पाने के तीनवर्ष पश्चात प्रदान की जाएगी ।

परंतु यह वेतनवृद्धि (याँ) आगामी उच्च वेतनमान/अवरोध वेतनवृद्धि के समय मंजूर नहीं की जाएंगी, जिस अधिकारो ने पदोन्नति पाने पर उसे नकार दिया हो ।

टिप्पणी : अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जायेगा । ऐसी वेतनवृद्धियाँ पाने के पश्चात भी अधिकारी को , यथास्थिति , उसके अपने मूल पद के वेतनमान I तथा II के ही विशेषाधिकार परिलब्धियाँ , कर्तत्य, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे ।

सारणी

जिन्होंने सी ए आई आई बी का केवल भाग - I उत्तीर्ण किया है	(i)वेतनमान के उच्च स्तर पर पहूँचने के एक वर्ष पश्चात रू. 120/- प्रति माह
जिन्होंने सी ए आई आई बी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(i) वेतनमान के उच्च स्तर पर पहूँचने के एक वर्ष पश्चात रू. 120/- प्रति माह (ii)वेतनमान के उच्च स्तर पर पहूँचने के एक वर्ष पश्चात रू. 300/- प्रति माह

परंतु विनियम 5 के उप विनियम (3) , खण्ड (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी , व्यावसायिक अर्हता भत्ता यथास्थिति , क्रमशः भाग - I एवं II के लिए ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात प्राप्त कर सकेंगे ।

(घ) 01.11.1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भुगतान की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित रहेंगी, जैसा कि सारणी में दिया गया है : -

सारणी

जिन्होंने जे ए आई आई बी या सी ए आई आई बी का भाग - I उत्तीर्ण किया है :	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष बाद रू. 150/- प्रतिमाह
जिन्होंने जे ए आई आई बी और सी ए आई आई बी उत्तीर्ण किया है या सी ए आई आई बी का दोनों भाग उत्तीर्ण किया है : -	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहूँचने के एक वर्ष पश्चात रू. 150/- प्रतिमाह (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहूँचने के दो वर्ष पश्चात रू. 360/- प्रतिमाह

परंतु, जो अधिकारी वेतनमान - I और II में है तथा उन्हें उप विनियम । (ख) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ मंजूर की गई हैं, ऐसे उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहूँचने के , यथास्थिति , एक/दो वर्ष पश्चात व्यावसायिक अर्हता भुगतान प्राप्त करेंगे ।

(ङ) नवम्बर, 2002 के प्रथम दिन से और को व्यवसायिक अर्हता वेतन निम्न सारणी में यथावर्णित रूप में पुनरीक्षित होगा : -

2. सी ए आई आई बी के भाग - I / जे ए आई आई बी एण्ड फिनान्स तथा सी ए आई आई बी के भाग - II उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि मंजूर की जाएगी ।

व्याख्या : (क) नियुक्ति के तारीख के पूर्व यदि एक अधिकारी ने सी ए आई आई बी का भाग - I या भाग - II उत्तीर्ण किया हो, अतिरिक्त वेतनवृद्धि यथास्थिति नियुक्ति तारीख से उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने हेतु प्रभावी होगा बशर्ते उसने वेतनवृद्धि पहले नहीं पाया हो या केवल एक वेतनवृद्धि पाया हो ।

(ख) नवम्बर , 1987 के प्रथम दिन से और को , अधिकारी , जो वेतनमान के अधिकतम तक पहुँच गया हो या पहुँचने वाला हो एवं जिसके पदोन्नति के अलावा आगे जोने की संभावना न हो , सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार , यदि कोई हो , व्यावसायिक अर्हता भत्ता के बदले निम्न टेबल के अनुसार उसे अतिरिक्त वेतनवृद्धि मंजूर किया जायेगा :

टेबल

जिसने सी ए आई आई बी का केवल भाग - I उत्तीर्ण किया है ।	(i) एक वर्ष पश्चात रू. 100/- प्रतिमाह जिसमें से रू. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।
	(i) एक वर्ष पश्चात रू. 100/- प्रति माह जिसमें से रू. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।
	(ii) दो वर्ष पश्चात रु. 250/- प्रति माह जिसमें से रू. 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।

(ग) 01.11.1994 को तथा उसके बाद से , अन्य बातें समान होने पर , व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित रहेंगी : -

टेबल

जिसने जे. आई आई बी या सी ए आई आई बी का भाग - I उत्तीर्ण किया है ।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहूँचने के एक वर्ष पश्चात रू. 300/- प्रतिमाह ।
जिसने सी ए आई आई बी का दोनों भाग - I उत्तीर्ण किया है ।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहूँचने के एक वर्ष पश्चात रू. 300/- प्रतिमाह ।
	(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहूँचने के दो वर्षों के पश्चात रू. 750/- प्रतिमाह ।

परंतु , जो अधिकारी वेतनमान - I और II में हैं उन्हें उप विनियम 1 (ख) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ मंजूर की गई हैं , ऐसे उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहुँचने के यथास्थिति एक/दो वर्ष पश्चात व्यावसायिक अर्हता भुगतान प्राप्त करेंगे ।

टिप्पणी : (i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भुगतान मिल रहा है , अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध -वेतनवृद्धियों की सीमा तक जे. ए.आई आई बी /सी ए आई आई बी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धियाँ उपलब्ध नहीं है तो अधिकारी वेतनवृद्धि (यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भुगतान पाने का पात्र होगा ।

(ii) 0/11/1994 को तथा उसके बाद से , यथास्थिति , व्यावसायिक अर्हता भत्ता या व्यावसायिक अर्हता भुगतान की मंहगाई भत्ता , मकान किराया भत्ता तथा अधिवार्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा ।

(iii) कोई अधिकारी उपर्युक्त व्यावसायिक अर्हता वेतन हेतु योग्य नहीं होगा यदि वह दी गई पदोन्नति नकारता है ।

(iv) यदि कोई अधिकारी वेतनमान के अधिकतम तक पहुँचने के पश्चात जे ए आई आइर बी या सी ए आई आई बी (एक भाग या दोनों भाग) उत्तीर्ण करता है , तो व्यावसायिक अर्हता वेतन का प्रथम किस्त उस योग्यता की प्राप्ति की तिथि से मंजूर किया जायेगा एवं व्यावसायिक अर्हता वेतन का तदन्तर किस्त व्यावसायिक अर्हता वेतन के प्रथम किस्त के जारी करने की तिथि के अनुसार मंजूर किया जायेगा ।

(v) यदि किसी अधिकारी ने 2/6/2005 को खण्ड (iv) में संदर्भित किसी भी उक्त योग्यताओं को पूर्व में ही प्राप्त कर लिया हो एवं इस तरह के प्राप्त योग्यताओं के लिए निर्धारित व्यावसायिक अर्हता वेतनमान का कोई वेतनवृद्धि नहीं लिया हो , वह प्रभावी तिथि 01/11/2002 या ऐसी योग्यता (ओं) को प्राप्त करने की तिथि से , जो भी बाद में हो , व्यावसायिक अर्हता वेतन हेतु यथा उपर्युक्त वर्णित वेतनवृद्धि पायेगा ।

3. (क) **सभी अधिकारी , जो 1/11/1993 को बैंक के स्थायी सेवा में हैं , वेतनमान में एक अग्रिम एवं वेतनवृद्धि पायेगा ।**

टिप्पणी : अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ख) कोई अधिकारी जो वेतनमान के अधिकतम पर है या जो 1/11/1993 को गत्यवरोध वेतनवृद्धि (याँ) पा रहा है 1/11/1993 को देय मँहगाई भत्ता, विनियम 22 के अनुसार यथा लागू दरों पर एवं यदि कोई स्थायी वैयक्तिक भत्ता आवास भत्ता के साथ हो , जैसा कि नीचे की सारणी में उल्लिखित है , आगे पुनरीक्षित होने तक मान्य रहेगा : -

सारणी

वेतनवृद्धि संघटक	वेतनवृद्धि संघटक पर 1.11.1993 को मँहगाई भत्ता	कुल स्थायी वैयक्तिक देयभत्ता , जहाँ बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है ।
(क)	(ख)	(ग)
रू.	रू.	रू.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(ग) 1 नवम्बर 1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ता, यदि कुछ होता है तो वह नीचे दिए गए टेबल के अनुसार होगा :-

टेबल

वेतन वृद्धि घटक	वेतन वृद्धि घटक पर 1.11.1997 को महंगाई भत्ता	जहाँ बैंक की ओर से आवासीय सुविधा दी गई है वहाँ देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
क	ख	ग
₹	₹	₹
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(घ) 1 नवम्बर 2004 को और इसके बाद, अन्य बातें समान होने पर मकान किराया भत्ता के साथ नियत वैयक्तिक वेतन - यदि कुछ होता है तो वह नीचे दिए गए टेबल के अनुसार होगा और पूरी सेवा अवधि के दौरान उतना ही रहेगा :-

टेबल

वेतन वृद्धि घटक	वेतन वृद्धि घटक पर 1.11.1997 को महंगाई भत्ता	जहाँ बैंक की ओर से आवासीय सुविधा दी गई है वहाँ देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
क ₹	ख ₹	ग ₹
550	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

टिप्पणी :

(i) विनियम 5 के उप विनियम (3), उपबंध (ख) (ग) और (घ) में दर्शाए गए टेबलों के स्तंभ (ग) के अंतर्गत जो नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन दर्शाया गया है वह उन अधिकारियों को देय है जो बैंक द्वारा उपलब्ध आवासीय सुविधा लेते हैं ।

(ii) नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन के पात्र अधिकारियों का मकान किराया भत्ता (क) + (ख) + मकान किराया भत्ता होगा - जो विनियम 5 के उप विनियम (3) खंड (ख), (ग) और (घ) में दर्शाया गया है और संबंधित अधिकारी, विनियम 4 के उप विनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट संबंधित वेतनमान के वेतन वृद्धि घटक पर अर्जित अपना वेतन लेता है ।:

(iii) 1 नवम्बर 1999 को और उसके बाद नियत वैयक्तिक वेतन दे दिए जाने पर, उप विनियम (2) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी किए जाने की समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा :

बशर्ते, व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पूर्ववर्ती प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए बदल दी गई हो और वह 1 नवम्बर 1999 को या इस तारीख के बाद जारी की जानेवाली हो, तब इसे उस अधिकारी को इसी तारीख से जारी किया जाएगा और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त (यदि होती है तो) 1 नवम्बर 2000 को जारी की जाएगी ।

(iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन का वेतनवृद्धि घटक सेवा- निवृत्ति लाभ के हिसाब में शामिल किया जाएगा ।

(ङ) जिस अधिकारी को उपर्युक्त(क) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है उसे उपर्युक्त खंड (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन अपने वेतनमान के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद दिया जाएगा"

5. उक्त विनियम में विनियम 21 में उप विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप विनियम जोड़े जाएंगे जो निम्नवत् हैं :-

'(4) 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी :

(क) महंगाई भत्ता, अखिल भारतीय कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में, 2288 बिंदु के उपर प्रत्येक 4 बिंदु वृद्धि या कमी के लिए संदेय होगा ।

(ख) 1 नवम्बर 2002 से 31 जनवरी 2005 तक महंगाई भत्ता निम्नलिखित दर से दिया जाएगा :-

(i) ₹ 9,650+ तक : वेतन का 0.18%

(ii) ₹ 9650 से अधिक और ₹ 15,350 + तक : वेतन का 0.15%

(iii) ₹ 15350 से अधिक और ₹ 16,350+ तक : वेतन का 0.09%

(iv) ₹ 16350 से ऊपर : वेतन का 0.04%

(ग) 1 फरवरी 2005 को और उसके बाद महंगाई भत्ता वेतन का 0.18% दिया जाएगा ।

टिप्पणी :(क) महंगाई भत्ते के हिसाब के प्रयोजनार्थ 'वेतन' का मतलब मूल वेतन और गतिरोध वेतनवृद्धि से है ।

(ख) व्यावसायिक योग्यता भत्ता अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन - जिसका निर्देश विनियम 5 के उप विनियम (2) स्पष्टीकरण (ग) (घ) और (ङ) में दिया गया है, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा ।'

6. उक्त विनियम में, विनियम 22 के बदले निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे :

'22. मकान किराया भत्ता -1 (क) 1 नवम्बर 1999 और इसके बाद, जहाँ किसी अधिकारी को बैंक की तरफ से आवास उपलब्ध कराया गया है - तो उस अधिकारी के वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन का 2.5% या आवास के लिए मानक किराया, इन दोनों में से जो कम हो वह उससे वसूल कर लिया जाएगा ।

(ख) जिस अधिकारी को बैंक की ओर से आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है तो 1 नवम्बर 1999 और इसके बाद वह नीचे दिए गए टेबल में निर्दिष्ट दर से मकान किराया भत्ता पाने का पात्र समझा जाएगा :

टेबल

कार्यस्थल निम्नलिखित जगहों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
1	2
(i) समय- समय पर सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुरूप वर्गीकृत समूह 'ए' वर्ग के महानगरों में और समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र के केन्द्रों पर	प्रतिमाह वेतन का 9%
(ii) क्षेत्र I और समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र की जगहों पर	प्रतिमाह वेतन का 8%
(iii) क्षेत्र II अर्थात् जो स्थान उपर्युक्त (i) और (ii) में शामिल नहीं है	प्रतिमाह वेतन का 7%

यदि कोई अधिकारी मकान किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे उसके वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन का 2.5% या उपर्युक्त स्तंभ (2) में निर्दिष्ट देय मकान किराया भत्ते - इन दोनों में से जो कम होगा उससे अधिक चुकाए गए मकान किराए की वास्तविक राशि का भुगतान किया जाएगा ।

2(क) 1 नवम्बर 2002 और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक की ओर से आवास उपलब्ध कराया गया होगा तो वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन अथवा उस आवास का मानक किराया - इन दोनों में जो कम होगा, उसकी 1.75% राशि उससे वसूल कर ली जाएगी ।

(ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक की ओर से आवास उपलब्ध नहीं कराया हुआ है तो 1 नवम्बर 2002 और उसके बाद से, उसे नीचे दिए गए टेबल में निर्दिष्ट दर से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा :

टेबल

	कार्यस्थल निम्नलिखित जगहों पर	देय मकान किराया भत्ता
	(1)	(2)
(i)	'ए' वर्ग के महानगरों में और समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केन्द्रों पर	वेतन का 8.5%
(ii)	क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र के केन्द्रों पर	वेतन का 7.5%
(iii)	अन्य स्थानों पर	वेतन का 6.5%

किंतु यदि कोई अधिकारी मकान किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसके वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन का 1.75% से अधिक की राशि जो उसने वास्तविक मकान किराया स्वरूप चुकायी होगी, वही देय होगी किंतु इस मद में दी जाने वाली अधिकतम राशि उपर्युक्त टेबल के स्तंभ (2) में दर्शाए गए मकान किराया भत्ता की राशि का अधिकतम 150% होगा ।

(3) यदि कोई अधिकारी अपने आवास में रहता है तो वह भी उसी दर से मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा जिसका उल्लेख उपविनियम (1) खंड (ख) और उप विनियम 2 खंड (ख)उपबंधों के अधीन किया हुआ है मानों वह निम्नलिखित (क) अथवा (ख) के 1/12 से अधिक के बराबर राशि मासिक किराए के रूप में देता रहा है :

(क)

(i) आवास पर देय सकल नगर पालिका कर का ; और

(ii) आवास की पूंजीगत लागत का 12% जिसमें जमीन की कीमत भी शामिल है और यदि वह आवास किसी भवन का अंश है तो उस आवास के लिए लगी जमीन की पूंजीगत लागत का आनुपातिक अंश, (विशेष सुविधायुक्त बनाने के खर्च, जैसे वातानुकूलित बनाने आदि के खर्च को छोड़कर)

(ख)

उस आवास का वार्षिक किराया मान (वैल्यू) जो नगरपालिका द्वारा उस आवास के लिए निर्धारित किया गया है ।

स्पष्टीकरण :

(1) इस विनियम के लिए "मानक किराया" का तात्पर्य है :-

(क) बैंक के स्वामित्वाधीन किसी आवास के मामले में मानक किराया का हिसाब, इसके लिए प्रचलित सरकार द्वारा निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार :

(ख) यदि वह आवास बैंक ने किराए पर लिया हो तो करार के अनुरूप बैंक द्वारा देय किराया अथवा उपर्युक्त (क) में उल्लिखित पद्धति से किए गए हिसाब से किराया - इन दोनों में जो कम हो ।

(2) मकान किराया के संबंध में "वेतन" का तात्पर्य है मूल वेतन और इसके साथ गतिरोध वेतन वृद्धि।

(3) मामले के अनुरूप व्यावसायिक योग्यता भत्ता अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन 1 नवम्बर 1994 से, मकान किराया के हिसाब के लिए शामिल किया जाएगा ।

(4) इस विनियम और विनियम 23 के उप विनियम (1) और (2) के लिए क्षेत्र I और क्षेत्र II का तात्पर्य निम्नवत् है :

क्षेत्र I : जिस जगह की आबादी 12 लाख से अधिक है ।

क्षेत्र II : जो क्षेत्र क्षेत्र I में शामिल नहीं किया गया है ।

7. उक्त विनियम में, विनियम 23 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

'23. <u>अन्य भत्ते</u> :

(1) 1 नवम्बर 2002 और उसके बाद से कोई अधिकारी नगर प्रतिपूरक भत्ता का पात्र नीचे दर्शाए गए टेबल के अनुरूप होगा :

<u>टेबल</u>

स्थान	दर
(1)	(2)
(क) क्षेत्र I में और गोवा राज्य में	मूल वेतन का 4% किंतु अधिकतम ₹ 540/- प्रतिमाह
(ख) 5 लाख एवं इससे अधिक आबादी वाली जगहों पर और राज्यों की राजधानी, चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर जो उपर्युक्त (क) में शामिल नहीं है	मूल वेतन का 3% किंतु अधिकतम ₹ 375/- प्रतिमाह
(ग) अन्य स्थान	शून्य

(2) नवम्बर 2002 और उसके बाद से विशेष क्षेत्र भत्ता इन्हीं विनियमो की अनुसूची में किए गए उल्लेख के अनुरूप दिया जाएगा ।

(3) 1 नवम्बर 2002 और इसके बाद से यदि कोई अधिकारी समूह (क) या समूह (ख) के तहत पड़नेवाले किसी परियोजना क्षेत्र में कार्यरत हो तो वह समूह (क) या समूह (ख) के वर्गीकरण के अनुरूप प्रतिमाह ₹ 210/- या ₹ 185/- की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता पाने का पात्र होगा ।

(4) 1 जनवरी 2004 और इसके बाद से यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण अकादमिक सत्र के चालू रहने के बीच होता है और यदि उसके एक या इससे अधिक बच्चे स्थानांतरण पूर्व स्थान पर स्कूल या कालेज में पढ़ रहे हैं तो वह अधिकारी अकादमिक सत्र के बीच स्थानांतरण भत्ता पाने का पात्र होगा जिसकी दर प्रतिमाह ₹ 500/- होगी और यह भत्ता स्थानांतरित होकर गए स्थान पर कार्यग्रहण की तारीख से [illegible] उन बच्चों के अकादमिक वर्ष की समाप्ति तक के लिए दिया जाएगा ।

किंतु यदि [illegible] पढ़ाई पूर्ववर्ती स्थान पर बंद कर दी जाती है तब वह अधिकारी [illegible] भत्ते का पात्र नहीं होगा ।

(5) 1 जून 2001 और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी की तैनाती बैंक से परे किसी स्थान पर होती है तो वह उस पद पर तैनात होने फलस्वरूप प्राप्य परिलब्धियों अथवा वेतन के अतिरिक्त, अपने मासिक वेतन का 7.75% (अधिकतम ₹ 1500/-) और प्रतिनियुक्ति पूर्व तैनाती स्थल पर प्राप्त कर रहे अन्य भत्ते - इन दोनों में से किसी एक का विकल्प चुन सकता है :

किन्तु यदि प्रतिनियुक्ति किसी ऐसे कार्यालय में होती है जो उसी जगह पर है जिस जगह पर तैनात रहने के दौरान उसकी प्रतिनियुक्ति हुई है तो उसे अपने वेतन का 4% के बराबर ही प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा और इसकी अधिकतम सीमा ₹ 750/- मासिक होगी ।यदि किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अपने बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में होती है तो वह अधिकारी अपने वेतन का 4% और अधिकतम ₹ 750/- मासिक प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने का पात्र होगा ।

(6) यदि किसी अधिकारी को अपने वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में (ऑफिशिएट) लगातार कम से कम सात दिनों तक अथवा एक कैलेंडर माह में समग्रतः सात दिनों तक काम करने की जरूरत पड़ती है तो जितने दिनों तक के लिए उसने स्थानापन्न के रूप में काम किया होगा उसी अनुपात में, अपने वेतन का 6% की दर से स्थापन्न भत्ता पाने का पात्र होगा और यह स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनार्थ हिसाब में शामिल किया जाएगा ।

किंतु यदि कोई अधिकारी केवल विनियम 6 के तहत पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणाम स्वरूप अपने से उपर के वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में काम करने आतः है तो ऐसे वर्गीकरण की समीक्षा के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष तक के लिए वह इस भत्ते को पाने का पात्र नहीं होगा ।

(7) यदि कोई अधिकारी ऐसी शाखा में तैनात है जहाँ 1 अप्रील और 30 सितम्बर को लेखा- बंदी कार्य समाप्त हो गया है तो 250/- प्रति लेखा- बंदी के हिसाब से वह दोनों ही लेखा बंदियों के लिए लेखा-बंदी भत्ता पाने का पात्र होगा ।

(08) 01 नवंबर , 2002 को एवं उसके बाद से यदि किसी दिन न्यूनतम दो घंटे के लिए कार्य - अवधि विखंडित की जाती है तो कोई अधिकारी रू. 125 प्रतिमाह की दर से विखंडित ड्यूटी भत्ता पाने का हकदार होगा ।

(09) यदि कोई अधिकारी किसी छुट्टी के दिन वाल्ट या लॉकर के अभिरक्षक का कार्य करता है तो वह अपनी हकदारी की दर से डायम भत्ता का हकदार होगा ।

(10) 01 नवंबर 2002 को एवं उसके बाद से कोई अधिकारी निम्नांकित टेबुल में विनिर्दिष्ट रूप में पर्वत एवं ईंधन भत्ता पाने का हकदार होगा : -

टेबल

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 3000 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई वाले स्थान पर	वेतन का 5% , अधिकतम रू. 1150 प्रतिमाह ।
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक किन्तु 3000 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान पर	वेतन का 2 1/2 % , अधिकतम रू. 500 प्रतिमाह ।
(iii) 1000 मीटर और उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान पर तथा मर्करा नगर में	वेतन का 2% , अधिकतम रू. 400 प्रति माह ।

टिप्पणी :

(क) कम से कम 750 मीटर ऊँचाई पर स्थित जो उससे अधिक ऊँचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हो और जिन तक पहुँचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई पार करनी पड़ती हो , पर तैनात अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई वाले केन्द्रों के लिए देय पर ईंधन भत्ता दिया जाएगा ।

(ख) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आने वाले किसी भी केन्द्र में फिलहाल दिए जाने वाले पर्वत और इंधन भत्ते समाप्त कर दिए जाऐंगे ।

परंतु , जो अधिकारी 1 मई , 1989 के पूर्व ऐसे केन्द्र पर तैनात था और उस तारीख के बाद भी उसी केन्द्र पर तैनात रहता है उसे 30 अप्रैल , 1989 को मिल रहे भत्ते की प्रमात्रा संरक्षित की जाएगी और उसी वेतनमान में उस केन्द्र में उसके तैनात रहने तक प्रतिमाह अदा की जाएगी ।

24. चिकित्सा सहायता :

किसी अधिकारी द्वारा स्वयं और अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नांकित आधार पर की जाएगी : -

क चकित्सा व्यय : 01.02.2004 को और उसके बाद से , अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नांकित टेबुल में विनिर्दिष्ट रूप में की जाएगी । इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाणपत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा :

टेबल

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रू. 3750 अथवा खर्च की गई राशि दोनों में से जो कम हो ।
वरिष्ठ प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रू. 5000 अथवा खर्च की गई राशि दोनों में से जो कम हो ।

टिप्पणी : (i) किसी अधिकारी को उपयोग न की गई चिकित्सा सहायता राशिं के संचयन की अनुमति दी जा सकती है । किन्तु यह राशि किसी भी समय उपर्युक्त अधिकतम राशि के तिगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ii) चिकित्सा सहायता योजना के अधीन वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति ग्यारह महीने, अर्थात् फरवरी , 2004 से दिसम्बर, 2004 तक के लिए यथानुपात बढ़ाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण : - इस विनियम के उद्देश्य से किसी अधिकारी के परिवार का तात्पर्य वही होगा जैसाकि विनियम 3 के खंड (छ) में परिभाषित है ।

ख (i) जहाँ अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है , उन सभी मामलों में स्वयं किसी अधिकारी के भर्ती होने पर आनेवाले खर्च का 100 % तथा परिवार के सदस्यों के मामले में 75% की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

ii) 01 मई , 2005 को और उसके बाद से इस विनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी के मामले में अस्पताल में भर्ती होने पर होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारियों के लिए 02.06.2005 को हुए द्विपाक्षिक समझौते के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में निर्धारित योजना की शर्तों के अनुरूप होगा । यह निम्नांकित टेबुल में निर्दिष्ट सीमा के अध्याधीन होगा : -

टेबल

(क) कनिष्ट प्रबंधन संवर्ग स्केल 1तथा मध्य प्रबंधन संवर्ग स्केल II एवं III	(i) बेड चार्ज : अपने लिए - रू. 600 प्रतिदिन परिवार के लिए - रू. 450 प्रतिदिन (ii) अन्य व्यय - कामगार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल में भर्ती संबंधी योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा के 125% तक
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग स्केल IV एवं V तथा शीर्ष कार्यपालक संवर्ग स्केल VI एवं VII	(ii) (i) बेड चार्ज : अपने लिए - रू. 800 प्रतिदिन परिवार के लिए - रू. 600 प्रतिदिन (iii) अन्य प्रभार - (iv) कामगार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल में भर्ती संबंधी योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा के 150% तक

ऊपर उप- विनियम (i) में विनिर्दिष्ट चिकित्सा लाभों जैसा कि बैंक में लागू है , (अस्पताल में भर्ती इत्यादि सहित), जैसा कि बैंक में लागू है , के होते हुए भी तथा उसके संपूर्ण प्रतिस्थापन में नियुक्त तिथि को बोर्ड चिकित्सा लाभों को अपरिवर्तित रूप में रखने का निर्णय ले सकता है और यदि बोर्ड ऐसा निर्णय करता है तो चिकित्सा - लाभों (अस्पताल में भर्ती इत्यादि सहित) की मंजूरी हेतु नियुक्त तिथि को बैंक में उपलब्ध नियम एवं शर्तों के अनुसार ही सभी अधिकारी चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे ।

(3) चिकित्सा सहायता एवं अस्पताल में भर्ती संबंधी सुविधाएँ निलंबित अधिकारियों पर भी लागू होंगी ।

9. विनियमों में , विनियम 25 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जएगा : -

25. कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने का साधिकार हकदार नहीं होगा ।

(2) किन्तु यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 01.11.2002 को और उसके बाद से , अपने मूल वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1.75 % के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये , जो भी कम हो का भुगतान करेगा ।

परंतु जहाँ बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है वहाँ बिजली , पानी, गैस और सफाई के प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

10. उपर्युक्त विनियम में , विनियम 41 में , उप - विनियम (1) में उप - विनियम प्रस्थापित किया जाएगा : -

(1) 02 . 06.2005 को और उसके बाद से कोई अधिकारी कार्यालयीन यात्रा के दौरान निम्नलिखित का हकदार होगा : -

(i) कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग का अधिकारी ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी अथवा ए. सी. - 2 टियर स्लीपर क्लास में यात्रा करने का हकदार होगा । यद्यपि व्यावसायिक अत्यावश्यकता की स्थिति अथवा जनहित में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वह विमान यात्रा (इकोनॉमी क्लास कर सकता है ।

(ii) मध्य प्रबंधक संवर्ग का अधिकारी ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी अथवा ए सी - 2 टियर स्लीपर में यात्रा करने का हकदार होगा अथवा वह विमान (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है , यदि गंतव्य स्थान 1000 कि. मी. से अधिक है । अथवा व्यावसायिक अत्यावश्यकता की स्थिति या जनहित में उससे कम दूरी के लिए भी विमान से यात्रा कर सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी जाती हैं ।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग अथवा शीर्ष कार्यपालक संवर्ग का अधिकारी ट्रेन द्वारा ए सी प्रथम श्रेणी अथवा विमान (इकोनॉमी क्लास) द्वारा यात्रा करने के हकदार होंगे ।

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन अथवा शीर्ष कार्यपालक संवर्ग का अधिकारी रेल अथवा वायुमार्ग से न जुड़े हुए स्थानों के बीच की यात्रा कार द्वारा पूरी कर सकता है बशर्ते वह दूरी 500 कि मी. से अधिक न हो तथा दोनों स्थानों के बीच की दूरी का अधिकांश हिस्सा विमान अथवा ट्रेन द्वारा पूरी की जा सके एवं सामान्यत: केवल बाकी दूरी कार द्वारा पूरी करनी हो ।

(v) कोई अन्य अधिकारी व्यावसायिक अत्यावश्यकता के कारण तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर अपनी सवारी अथवा टैक्सी अथवा बैंक की सवारी से यात्रा कर सकता है ।

ख) उप - विनियम (4) में , खंड (क) के लिए निम्नांकित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा : -

क) विराम भत्ता - 01.06.2005 को और उसके बाद से , कोई अधिकारी निम्नांकित टेबल में वर्णित रूप में प्रतिदिन (पर डायम) विराम भत्ता पाने का हकदार होगा : -

टेबल

अधिकारियों का संवर्ग /स्केल	प्रमुख ए वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1		2	
स्केल IV एवं उससे ऊपर के अधिकारी	रू. 600	रू. 550	रू. 500
स्केल I /II/III के अधिकारी	550	500	400

परंतु स्केल IV एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को दिल्ली, मुंबई , कोलकाता एवं चेन्नई जैसे चार महानगरों में अपने स्थानिक कार्य के दौरान रू. 700 का प्रतिदिन विरामभत्ता देय होगा ।

परंतु , यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम , किन्तु चार घंटे से अधिक है तो उपर्युक्त दरों की आधीदर से विराम भत्ता देय होगा ।

स्पष्टीकरण : - विराम भत्ते की संगणना के लिए प्रतिदिन (पर डायम) का अभिप्राय है चौबीस घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्ट करने के समय से लेकर तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुँचने के वास्तविक समय तक की जाएगी यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है तो प्रतिदिन का अभिप्राय ऐसी अवधि से है जो आठ घंटे से कम न हो ।

11. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 42 में उप - विनियम (3) के लिए निम्नांकित उप - विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा : -

(3) 01. 04.1997 को और उसके बाद से काई अधिकारी स्थानान्तरित होने पर पैकिंग , स्थानीय परिवहन , बैगेज बीमा इत्यादि से संबंधित व्यय के लिए एकमुश्त राशि पाने का हकदार होगा जैसाकि नीचे टेबल में वर्णित है : -

टेबल

संवर्ग	एकमुश्त राशि
शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	रू. 5000
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रू. 4000

परंतु , 01.05.2005 को और उसके बाद से इस उप - विनियम के प्रावधान इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों रू. 5000 एवं रू. 4000 अक्षर एवं अंक के लिए क्रमश: रू. 8750 एवं रू. 7000 अक्षर एवं अंक प्रस्थापित कर दिए गए हों ।

12. उपर्युक्त विनियमों में , विनियम 44 के लिए निम्नांकित विनियम प्रस्थापित किए जाएंगे : -

44. छुट्टी यात्रा रियायत :

(1) प्रत्येक चार वष क खंड क दौरान कोई आधकारा दो वर्ष के प्रत्येक खंड में अपने गृह नगर की यात्रा करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत पाने का हकदार होगा , अथवा , विकल्पत : दो वर्ष के एक खंड में अपने गृह - नगर की यात्रा करता सकता है तथा दो वर्ष के दूसरे खंड में भारत के किसी स्थान की यात्रा निकटतम मार्ग कर सकता है ।

(2) कोई अधिकारी यथास्थिति चार वर्ष अथवा दो वर्ष के खंड के दौरान किसी भी समय अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर की यात्रा को छोड़कर) का समर्पण एंव यात्रा नकदीकरण कर सकता है । ऐसा करने पर कनिष्ट प्रबंधन संवर्ग स्केल I तथा मध्य प्रबंधन संवर्ग स्केल II एवं III का अधिकारी 4500 कि. मी. (एक तरफ) की दूरी तथा वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग स्केल IV एवं इससे ऊपर का अधिकारी 5500 कि. मी. (एक तरफ) तक की यात्रा के लिए हकदारी की श्रेणी के रेल- किराए के 75% की समतुल्य राशि प्राप्त करने का हकदार होगा तथा अपनी छुट्टी यात्रा रियायत का विकल्प अपनाते हुए वह नकदीकरण कराने जानेवाले खंड या अवधि के दौरान केवल एकबार अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावे प्रस्तुत करेगा छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा का नकदीकरण कराते समय साधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी ।

(3) किसी अधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत लिए जाने पर लागू सवारी का प्रकार एवं क्लास वही होगा , सामान्यत: जिसका हकदार वहस्थानांतरण होने पर यात्रा के लिए होता है ।
किसी अधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत लिए जाने के संबंध में अन्य नियम एवं शर्तें वही होगी जो बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्धारित होंगी ।

(4) प्रत्येक चार वर्ष में एक बार , जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है तो उसे एक बार में अधिकतम तीस दिनों की छुट्टी अभ्यार्पित करके उसका नकदीकरण कराने की अनुमति दी जा सकती है अथवा यदि वह दो वर्षीय खंड में एक बार अपने गृह नगर और दूसरे दो वर्षीय खंड में एक बार भारत में कहीं

भी जाना चाहे तो प्रत्येक खंड में उसे पंद्रह - पंद्रह दिनों की अथवा एक ही खंड में 36 दिनों की छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है । छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा लिए जाने वाले माह में छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजनार्थ देय समस्त परिलब्धियाँ उसे दी जएँगी ।

किन्तु काई अधिकारी अगर चाहे तो प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए जाने के लिए एक और अतिरिक्त साधिकार छुट्टी का नकदीकरण करा सकता है । इसके लिए उसे बैंक को इस आशय का एक पत्र देना होगा और बैंक को यह प्राधिकार देना होगा कि वह यह राशि प्रधान मंत्री राहत कोष में भेज दे ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 की
अनुसूची - देखें, विनियम 23 का उप- विनियम (2)

नवंबर, 2002 के प्रथम दिन से एक अधिकारी विशेष अंचल भत्ता पाने का पात्र होगा जब तक कि इन्हें समाप्त अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से संशोधित न किया जाए जिसे निम्नलिखित टेबल में दर्शाया गया है :-

टेबल

क्रम संख्या	स्थान जहाँ भत्ता देय है	देय भत्ता दर	
		वेतन रू.10,000 से रू.14,000	वेतन रू.14,001 एवं इसके ऊपर
1.	मिजोरम	(रू.)	(रू.)
	(क) मिजोरम के चिम्पटुइपुइ जिला एवं मिजोरम के लंगले जिला में लंगले शहर से 25 कि.मी. से आगे ।	1,000	1,300
	(ख) मिजोरम के लंगले शहर से 25 कि.मी. के आगे के अंचल को छोड़कर समस्त लंगले जिला ।	800	1,050
	(ग) मिजोरम का समस्त ऐजल जिला	600	750
2.	नागालैंड	800	1,050
3.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप		
	(क) दक्षिण अंदमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	800	1,050
	(ख) उत्तर एवं मध्य अंदमान, छोटा अंदमान, निकोबार एवं नारकोंदम द्वीप	1,000	1,200
4.	सिक्किम	1,000	1,300
5.	लक्षद्वीप द्वीप	1,000	1,300
6.	असम	160	200
7.	मेघालय	160	200

टेबल

क्रम संख्या	स्थान जहाँ भत्ता देय है	देय भत्ता दर	
		वेतन रू.10,000 से रू.14,000	वेतन रू.14,001 एवं इसके ऊपर
8.	त्रिपुरा	(रू.)	(रू.)
	(क) त्रिपुरा का दुर्गम अंचल	800	1,050
	(ख) दुर्गम अंचल को छोड़ कर समस्त त्रिपुरा	600	750
9.	मणिपुर	600	750
10	अरूणाचल प्रदेश		
	(क) अरूणाचल प्रदेश का दुर्गम अंचल	1,000	1,300
	(ख) दुर्गम अंचल को छोड़कर समस्त अरूणाचल प्रदेश	800	1,050
11	जम्मू एवं कश्मीर		
	(1) कथुआ जिला (2) नैबत बानी (3) लोही (4) मल्हार (5) मक्छोदी	1,000	1,300
	(2) (क) उधमपुर जिला i) हुडु बसंतगढ़ ii) लैंडर भमग इलाका iii) धाकाकोट iv) नमोट	1,000	1,300
	(ख) 2(ग) में शामिल के अलावा मोहरे तहसील के सभी अंचल	1,000	1,300
	(ग) कंबन की ओर से पोयल अंचल तक तथा तहसील मोहरे की ओर से अन्तिम अंचल तक	800	1,050

टेबल

क्रम संख्या	स्थान जहाँ भत्ता देय है	देय भत्ता दर	
		वेतन रू.10,000 से रू.14,000	वेतन रू.14,001 एवं इसके ऊपर
	(3) डोडा जिला किस्तवर तहसील में पैडर का इलाका तथा नियाबत नवगाम	1,000	1,300
	(4) लेह जिला जिला में सभी स्थान	1,000	1,300
	(5) बारामुल्ला जिला (क) समस्त गुरेज- निराबात, तंगदर सब-डिवीजन तथा केरान इलाका	1,000	1,300
	(ख) मैचिल	800	1,050
	(6) पूँछ एवं राजौरी जिला पूँछ एवं राजौरी जिला के पूँछ और राजौरी शहर तथा दोनों जिला के सुंदरबनी एवं अन्य अंचल छोड़कर पूँछ और राजौरी जिला के अंचल ।	600	750
	(7) उपर्युक्त (1) से (6) में शामिल नहीं किए गए अंचल किन्तु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी. की दूरी के भीतर अथवा राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को समय-समय पर दिए जाने वाले सीमा भत्ता के लिए पात्रता घोषित की जाए ।	600	750
	(1) हिमाचल प्रदेश (1) चम्बा जिला 1(क) पंगी तहशील	1,000	1,300
	1(ख) भरमौर तहसील के निम्नलिखित पंचायत एवं तहसील	800	1,050
	(i) पंचायत : बड़गाँव, बजोल, देवोल कुग्ती, नयागाम एवं तुंदह		
	(ii) ग्राम : जगत ग्राम पंचायत का धातु, चौहाता ग्राम प्रचायत का कनरसी		

टेबल

क्रम संख्या	स्थान जहाँ भत्ता देय है	देय भत्ता दर	
		वेतन रू.10,000 से रू.14,000	वेतन रू.14,001 एवं इसके ऊपर
	2. उपर्युक्त भाग 1बी में शामिल पंचायतों एवं गाँवों को छोड़कर भरमौर तहसील 3. भतियात तहशील, चर्च तहसील, डलहौजी शहर (बानीखेत सहित) झंडु पंचायत	600	750
	(2) किन्नौर जिला (क) छोटा खंभा, नथ्पा एवं रूपी, पूह सब- डिवीजन के 15/20 अंचल को शामिल करते हुए उपरोक्त विनिर्दिष्ट पंचायतों को छोडकर असरंग, चिकुल एवं हंगोकूनो/चारंग पंचायत	1,000	1,300
	(ख) उपरोक्त (क) में सम्मिलित अंचल के अलावा समस्त जिला	600	750
	(3) कुल्लु जिला : (3)(क) खर्गा, कुशवर और सर्गा ग्राम पंचायत शामिल करते हुए निरमंद तहसील का 15/20 अंचल	1,000	1,300
	(3)(ख) बाहरी सेराज (निरमंद तहसील के जकत खाना तथा बुर्रो गाँव को छोड़कर) तथा समस्त जिला (बाहरी सेराज अंचल तथा पंद्राबीस के परगना को छोड़कर किन्तु निरमंद तहसील के जगतखाना और बुर्रो गाँव को सम्मिलित करते हुए	600	750
	(4) लाहौल एवं स्पिति जिला लाहौल एवं स्पिति अंचल का समस्त अंचल	1,000	1,300

टेबल

क्रम संख्या	स्थान जहाँ भत्ता देय है	देय भत्ता दर	
		वेतन रू.10,000 से रू.14,000	वेतन रू.14,001 एवं इसके ऊपर
	(5) शिमला जिला : (क) कूट, लबना-सदना, सरपारा तथा चादी- ब्रंदा को शामिल करते हुए रामपुर तहसील का 15/20 अंचल।	1,000	1,300
	(ख) दोद्रा- कवर तहसील, रामपुर में दरकाली ग्राम पंचायत, कशपथ तहसील तथा मुनीस, परगना सरहन का घोरी छैबिस	800	1,050
	(ग) चोपाल तहसील तथा घोरीस, पंजगाँव, पट्सनाँव, नौबीस तथा परगना सरहन का तीन कोती, टकलेस अंचल का देवथी ग्राम पंचायत, परगना बरबीस, कस्बारामपुर एवं रामपुर तहसील के परगना रामपुर के घोरी नोग, शिमला शहर और इसके आस-पास (धल्ली,जटोग, कसुम्पति, मसहोब्रा, तारादेवी एवं तुतु)	600	750
	(6) कांग्ड़ा जिला : (क) बड़ा भंगल और छोटा भंगल अंचल		
	(ख) कांग्ड़ा जिला का धरम शाला शहर तथा म्युनिसिपल सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालयों किन्तु धरमशाला शहर में सम्मिलित महिलाओं का आई टी आई, दारी, मेकानिकल वर्कशॉप, रामनगर,बालकल्याण तथा नगर एवं देशी योजना कार्यालय, लोअर सकोह में सकोह सी आर एस एफ कार्यालयस, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एच आर टी सी वर्कशॉप, सदहर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, आई.पी.एच. सब- डिवीजन, दान, सेटलमेंट कार्यालय, शामनगर, बिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर कार्यालय/जर्सी फार्म, बनुंरी, सेरीकल्चर कार्यालय/इंडो-जर्मन एग्रिकल्चर कार्यालय/ एच पी पी डब्ल्यू डी डिवीजन, बुंदेला, इलेक्ट्रिकल एच पी एस ई ई डिवीजन, घुग्गर	800	1,050

टेबल

क्रम संख्या	स्थान जहाँ भत्ता देय है	देय भत्ता दर	
		वेतन रू.10,000 से रू.14,000	वेतन रू.14,001 एवं इसके ऊपर
	(6) मंडी जिला : जोगीन्दर नगर तहसील का छुहर घाटी, बग्रा तहसील के थुनागकी पंचायतें, छतरी, छोटधर, गरगूसाँई, गातु, गरयसास, जंजेहली, जरयार, कलवाँ, खोलानल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचान, धचधर, ताची, थाना, बिंगा ब्लॉक धरमपुर के पंचायत, कमलाह, एकलाना, तन्यार तथा ताराशोलाह, करगोस तहसील के पंचायत के पंचायत बार्लाधर, बग्रा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहुदी, मंच, पेखी, सैंज, सरहान तथा तेबान, सुंदरनगर तहसील के पंचायत - बोही, बटवारा, धनयारा, पडराकोठी, सेरी और सोजा।	600	700
	(8) सिरमौर जिला : (क) बानी, बखाली (पछाद तहसील), भरोग भेनेरी (पोअंटा तहसील), बिरला (नहान तहसील), दिब्बर (पछाद तहसील) तथा थान कसोगा (नहान तहसील) के पंचायत । (ख) धंगसिरि ट्रैक्ट	600	750
	(9) सोलान जिला : मंगल पंचायत	600	750
	(10) उपर्युक्त (1) से (9) में सम्मिलित नहीं किए गए हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्र	160	200
		1,000	1,300
	(13) उत्तर प्रदेश : चमोली, पिथोरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिलों के क्षेत्र 2(क) पिथोरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिला के अन्य क्षेत्र 2(ख) चम्पावत जिला (लोहाघाट अंचल सहित)		
	(14)उत्तरांचल : रूद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र	800	1,050

आर. के. महांति, महाप्रबंधक (संसाधन प्रबंधन, योजना एवं रिटेल बैंकिंग)

[विज्ञापन III/4/20/10-असा.]

टिप्पणी :प्रमुख विनियम वर्ष 1980 में सरकारी राजपत्र में प्रकशित किए गए थे । निम्नलिखित आधेसूचनाओं द्वारा अनुवर्ती संशोधनों को अधिसूचित किया गया है :

क्रम सं.	राजपत्र अधिसूचना सं.	तिथि
1	3/1997	23.10.1997
2	1/1999	06.07.1999
3	2/1999	21.07.1999
4	1/2000	17.05.2000
5	2/2002	26.08.2002
6	1/2006	17.01.2006
7	2/2006	25.08.2006

UNITED BANK OF INDIA

Head Office

Kolkata, the 25th October, 2010

No. 1/2010.—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely :—

1. (1) These regulations may be called the United Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.

2. In the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred as the said regulations) in regulation 3,—

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely,—

'(g) "Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer';

(ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely :—

'(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs. 2,550 per month.'

Note.—If the income of one of the parents exceeds Rs. 2,550 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 2,550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee.

3. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

'(4) On and from the 1st day of November 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) Top Executive Grade :

Scale VII = Rs. 29340-680-30700-900-31600-1000-32600
2 1 1

Scale VI = Rs. 26620-680-29340
4

(b) Senior Management Grade :

Scale V = Rs. 24140-620-26620
4

Scale IV = Rs. 20480-560-21040-620-24140
1 5

(c) Middle Management Grade :

Scale III = Rs. 18240-560-21040-620-22280
5 2

Scale II = Rs. 13820-500-14320-560-19920
1 10

(d) Junior Management Grade :

Scale I = Rs. 10000-470-12820-500-14320-560-18240.
6 3 7

Note : Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2002 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise :

'(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the bank to have at all times, officers serving in all these grades.'

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely :—

'**5. Increments.**—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely :—

(a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, as shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government;

(c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs. 560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 620 of or officers in the last stage of Scale III :

Provided that on and from the 1st day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment :

Provided further that such increment's in the next higher scale/stagnation increment's shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation : (a) In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

(b) On and from the 1st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below :

TABLE

Those who have passed : only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)	Rs. 100 per month after one year of which Rs. 75 shall rank for superannuation benefits.

Those who have passed : Both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)	Rs. 100 per month after one year of which Rs. 75 shall rank for superannuation benefits.
	(ii)	Rs. 250 per month after two years of which Rs. 200 shall rank for superannuation benefits.

(c) on and from the 1st day of November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below :—

TABLE

Those who have passed : only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers;	(i)	Rs. 120 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed : Both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers.	(i)	Rs. 120 per month after one year on reaching top of the scale.
	(ii)	Rs. 300 per month after two year on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) on and from the 1st day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below :—

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers;	(i)	Rs. 150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified associate of Indian Institute of Bankers.	(ii)	Rs. 150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
	(ii)	Rs. 360 per month after two year on reaching maximum of the scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

(e) on and from 1st day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below :—

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers;	(i)	Rs. 300 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed both parts Certified Associate of Indian Institute of Bankers.	(i)	Rs. 300 per month after one year on reaching maximum of the scale.
	(ii)	Rs. 750 per month after two year on reaching maximum of the scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are garnated further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note : (i) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he

shall be granted, on figment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers/Certified associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) on and from the 1st day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and super annuation benefits.

(iii) an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.

(iv) if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first instalment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first instalmensts of Professional Qualification Pay.

(v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

(3)(a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November, 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note : There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November, 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised :—

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1-11-1993 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(c) on and from the 1st day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below :—

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1-11-1997 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
340	4.28	345

32 GI/11-4

380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(d) on and from the 1st day of November, 2004, other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service :--

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1-11-2002 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

Note : (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the table in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2) and (3) of regulation 4 is a earned.

(iii) on and from the 1st day of November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay :

Provided that where any instalment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second instalment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale",

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely : --

"(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under :

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(b) during the period from the 1st day of November, 2002 to 31st day of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates :--

(i) 0.18% of 'pay' up to Rs. 9,650 plus

(ii) 0.15% of 'pay' above Rs. 9,650 and up to Rs. 15,350 plus

(iii) 0.09% of 'pay' above 15,350 and up to Rs. 16,350 plus

(iv) 0.04% of 'pay' above Rs. 16,350

(c) on and from the 1st day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note : (A) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) (Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely :—

'22. **House Rent Allowance.**—(1) (a) on and from the 1st day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely : -

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major 'A' class Cities specified s such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	9% of the pay per month.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	8% of the pay per month.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above.	7% of the pay per month.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

(2) (a) on and from the 1st day of November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely :—

TABLE

Where the place of work is in	House Rent Allowance payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as

[illegible]

... the purpose of this regulation ... [illegible]

... in the case of any ... by the Bank, ... [illegible] ... the Government.

... [illegible] ... whichever is lower.

... [illegible]

... Professional Qualification ... [illegible]

... purpose of ... [illegible] ... as under :–

Area I – Places with a population ... more than 12 lakhs.

Area II – All places not included in Area I.

... said regulations, for regulation 2?, the following regulation shall be substituted, namely :–

... Allowances :–

(1) On and from the 1st day of November, 2002 an officer shall be eligible for the City Compensatory ... as specified in the Table below, namely :-

TABLE

Places (1)	Rates (2)
(a) Places in Area I and in the State of Goa.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 540 per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs. 375 per month.
(c) Other places	Nil

(2) On and from the 1st day of November, 2002, the rates of special area allowance shall be as specified in ... Schedule to these regulations.

(3) On and from 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs. 210 per month or Rs. ... per month, according to the classification of areas as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of ... 2002, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance at the rate of Rs. 500 per month from the date he reports to the latter place up to the end of the academic year in respect of all the children studying:

Provided that such allowance shall cease if all his children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs. 1500 per month and such other

allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place :

Provided that where he is deputed to an organization which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs. 750 per month :

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs. 750 per month.

(5) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only :

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

(6) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st April and the 30th September, a closing allowance of Rs. 250 for each of the two closings.

(8) On and from the 1st day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs. 125 per month.

(9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.

(10) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the Table below, namely :

TABLE

Place	Rates
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 3000 meters and above.	5% of pay subject to a maximum of Rs. 1150 per month.
(ii) Place with with an altitude of 1500 meters and above but less than 3000 metres	2½ % of pay subject to a maximum of Rs. 500 per month.
(iii) Place with with an altitude of 1000 meters and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2 % of pay subject to a maximum of Rs. 400 per month.

Note : (a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill an fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and fuel allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn :

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.'.

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted namely :—

'24. Medical Aid :—

(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely :—

(a) Medical Expenses.—On and from the 1st day of February, 2004, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely :–

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 3750 or the amount incurred whichever is less
Senior management and Top Executive Grade	Rs. 5000 or the amount incurred whichever is less

Note : (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months, i.e., from February, 2004 to December, 2004.

Explanation : "Family" of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

(b) (i) Hospitalization charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

(ii) on and from the 1st day of May, 2005, reimbursement of hospitalization expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalization Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2nd day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely :—

TABLE

(1)		(2)
(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i)	Bed Charges— Self—Rs. 600 per day. Family—Rs. 450 per day.
	(ii)	Other Charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalization Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i)	Bed Charges— Self—Rs. 800 per day. Family—Rs. 600 per day.
	(ii)	Other Charges— At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalization Scheme applicable to workmen employees.

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc.) specified in sub-regulation (1) above, and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalization, etc.).

(3) Medical Aid and Hospitalization facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.

9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely :

'25. Residential Accommodation. —(1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential

accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less :

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.40% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him :

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.'.

10. In the said regulations, in regulation 41,—for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

'(1) On and from the 2nd day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while travelling on duty, namely :—

(i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class).

(iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km. and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

(v) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

(b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

(a) Halting Allowance.—On and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely :—

TABLE

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)	(3)	(4)
Officer in Scale IV and above	Rs. 600	Rs. 550	Rs. 500
Officers in Scale I/II/III	550	500	400

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs. 700 :

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation : For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

'(3) On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sump amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely :—

'TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs. 5,000
Middle Management and Junior Management	Rs. 4,000

Provided that on and from the first day of May, 2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures " Rs. 5000" and "Rs. 4000", the letters, words and figures "Rs. 8750" and "Rs. 7000" had been respectively substituted.'

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely : —

'44. Leave Travel Concession:

(1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 4500 kms. (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II and III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time to time.

(4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privelege Leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible :

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.'

SCHEDULE TO UNITED BANK OF INDIA (OFFICER'S) SERVICE REGULATIONS, 1979 [SEE, SUB-REGULATION (2) OF REGULATION 23]

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely :—

TABLE

Sl. No.	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,000 and above

1.	Mizoram	(Rs.)	(Rs.)
	(a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram	1,000	1,300

Sl. No.	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,000 and above
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	800	1,050
	(c) Throughout Aizwal District of Mizoram.	600	750
2.	Nagaland	800	1,050
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) South Andaman (including Port Blair)	800	1,050
	(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	1,000	1,300
4.	Sikkim	1,000	1,300
5.	Lakshadweep Islands	1,000	1,300
6.	Assam	160	200
7.	Meghalaya	160	200
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	800	1,050
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	600	750
9.	Manipur	600	750
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	1,000	1,300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas.	800	1,050
11.	Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District	1,000	1,300
	(a) Niabat Bani		
	(b) Lohi		
	(c) Malhar		
	(d) Macchodi		
	(2) (a) Udhampur District	1,000	1,300
	i. Dudu Basantgarh		
	ii. Lander Bhamag Illaqua		
	iii. Thajrakote		
	iv. Nagote		
	(b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c).	1,000	1,300

(c) Areas up to Goel from Kamban Side and areas up to Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1,000 800	1,300 1,050
(3) Doda District Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	1,000	1,300
(4) Leh District All places in the District	1,000	1,300
(5) Barmulla District		
(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa	1,000	1,300
(b) Matchill	800	1,050
(6) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	600	750
(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	600	750
Himachal Pradesh		
(1) Chamba District		
1 (a) Pangi Tehsil	1,000	1,300
1 (b) following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil (i) Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah.	800	1,050
(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchyat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 1.b above.	600	750
Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Church Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).		
Kinnaur District :		
(a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba,	1,000	1,300

Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.		
(b) Entire District other than Areas included in (a) above	600	750
(3) Kullu District :		
3 (a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga.	1,000	1,300
3 (b) Outer-Seraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District (excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	600	750
(4) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti.	1,000	1,300
(5) Shimla District :		
(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Kool, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	1,000	1,300
(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	800	1,050
(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	600	750
(6) Kangra District :		
(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	800	1,050
(a) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town- Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Plannin Offices, Sakoh, CRSF Office	600	750

	at lower Sakoh, Kangra Milk supply Schemem Dugiar HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Binwa Project, Shamnagar. Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar.		
	(7) Mandi District :		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block-Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil-Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil-Bohi, Batwara, Dhanyaram Paura Kothi, Seri and Shoja.	600	750
	(8) Sirmaur District :		
	(a) Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil).	600	750
	(b) Thansgiri Tract		
	(9) Solan District : Mangal Panchayat.	600	750
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	160	200
13.	Uttar Pradesh : Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts :	1,000	1,300

	(2) (a) Other area of Distric Pithoragarh and Uttarkashi (including District Headquarters of Uttarkashi).		
	(2) (b) Champawat District (including area if Lohaghat). District Headquarters of Uttarkashi).		
14.	Uttaranchal : Areas under Rudraprayag and Champavat District.	800	1,050

R. K. MOHANTY, General Manager (RM, Plg. and Retail Banking)

Notes.—The principal regulations were published in the Official Gazette in the year 1980. The subsequent amendments were notified *vide* the following notifications :

Sl. No.	Gazette Notification No.	Date
(1)	(2)	(3)
1	3/1997	23-10-1997
2	1/1999	6-7-1999
3	2/1999	21-7-1999
4	1/2000	17-5-2000
5	2/2002	26-8-2002
6	1/2006	17-1-2006
7	2/2006	25-8-2006

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.